

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, मा प्र से
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
निदेशक, TBDC
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
सभी सिविल सर्जन
सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 13/05/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू० 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 6,10,84,00,000/- (रूपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र में से तत्काल राशि रू० 13,87,10,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतासी करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय हेतु आवंटन।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद मे 60:40 के अनुपात मे अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एव इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 6,10,84,00,000/- (रूपये छ अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा स्वीकृत राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के आलोक मे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्राक-656, दिनांक-08.05.2026 के द्वारा विवरणी उपलब्ध कराते हुए तत्काल राशि रू० 13,87,10,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतासी करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्रांक-656, दिनांक-08.05.2026 के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू0 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 6,10,84,00,000/- (रूपये छ. अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र में से तत्काल राशि रू0 13,87,10,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतासी करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है (राशि रूपये में):-

क्र०सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष- 0203- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210031100203	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद	4,50,00,00,000	3,00,00,00,000	7,50,00,00,000
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	3,08,68,00,000	2,05,78,66,667	5,14,46,66,667
2	माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति क लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड- 20-2210037890201	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद			
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	61,82,00,000	41,21,33,333	1,03,03,33,333
3	माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी लघु शीर्ष-79b-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0202 -एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड- 20-2210037960202	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद	7,00,00,000	3,00,00,000	10,00,00,000
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	4,76,00,000	4,84,00,000	9,60,00,000
कुल राशि			8,32,26,00,000	5,54,84,00,000	13,87,10,00,000

4- राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियाँ भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

5- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।


6- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHIBR48NHM	01585501172	RBI

(Handwritten signature)

- 7- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C में उपलब्ध करायेगे।
- 8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 9- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेसियों के लिए संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- 10- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 158 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक- 13/05/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले०एव ह०),/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रगडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एव अन्य कार्यान्वयन एजेसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/श्री शैलेश कुमार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07/प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

संचिका सं०-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2)- 153(7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-- 07/05/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 6,10,84,00,000/- (रूपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-514 दिनांक-29.04.2026 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 6,10,84,00,000/- (रूपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त प्रसंग में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 9,16,26,00,000/- (रूपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 6,10,84,00,000/- (रूपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 15,27,10,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt. of India (2026-27)						
Sl No	Letter no.		Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total	
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2026-27/NHM-F/FTS-8399926 dt.28.04 26	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	6828100000	4552066667	11380166667
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	758700000	505800000	1264500000
			Total	7586900000	5057866667	12644666667
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	1312400000	874933333	2187333333
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	145800000	97200000	243000000
			Total	1458200000	972133333	2430333333
		ST	3601-06-796-86-01-35(GBS)	82200000	54800000	137000000
			3601-06-796-86-05-35(GBS)	9100000	6066567	15166667
			Total	91300000	60866667	152166667
		PM-JANMAN	3601-06-796-86-04-31	1300000	866667	2166667
			3601-06-796-86-04-35	100000	66667	166667
			Total	1400000	933333	2333333
		DA-JGUA	3601-06-796-86-05-31	22300000	14866667	37166667
			3601-06-796-86-05-35	2600000	1733333	4333333
			Total	24900000	16600000	41500000
			Total (General+SC+ST+PMSSN+DA-JGUA)	9162600000	6108400000	15271000000

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SC&P & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- वर्तमान में बजटीय उपबन्ध में उपलब्ध राशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबन्धित राशि से विकल्पनीय होगा-

क्र.सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष-0203-एनओआरएचओएमओ सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210031100203	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद	4,50,00,00,000	3,00,00,00,000	7,50,00,00,000
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	3,08,68,00,000	2,05,78,66,667	5,14,46,66,667
2	संख्या-20 के मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उपमुख्य शीर्ष 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष धरक योजना उपशीर्ष 0201-एनओआरएचओएमओ सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20 2210037890201	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद	84,00,00,000	56,00,00,000	1,40,00,00,000
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	61,82,00,000	41,21,33,333	1,03,03,33,333
3	संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0202-एनओआरएचओएमओ सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210037960202	31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद	7,00,00,000	3,00,00,000	10,00,00,000
		31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	4,76,00,000	4,84,00,000	9,60,00,000
	कुल राशि		9,16,26,00,000	6,10,84,00,000	15,27,10,00,000

[Handwritten signature]

6- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है।

उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के द्वारा आवंटन से संबंधित विवरणी प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत CFMS 2.0 के माध्यम से व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

7- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक--24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

8- योजना अतर्गत केन्द्राश एवं राज्याश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है -

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHIM	01585501172	RBI

10- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C में उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की राहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-13/2021(खण्ड-2) के पृष्ठ- 91 /टि0 पर प्राप्त है।




13- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी ।

14- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

15- यह सिर्फ राज्यादेश है । राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विमुक्त/ व्यय किये जाने से संबंधित आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।
Rush

ज्ञापांक-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2)- 153 (7A) / स्वा0, पटना, दिनांक-07/05/2026

प्रतिलिपि- / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / संबंधित सभी प्रमडलीय आयुक्त / संबंधित सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक / उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अपर सचिव / प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०) / प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / राणी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / अपर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12 / प्रशाखा के सभी सहायक / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


7.5.26

सरकार के अपर सचिव ।
Rush